

**राजस्थान सरकार**  
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**  
**(अनुभाग-3, नरेगा)**



क्रमांक एफ 70(4)ग्रावि./नरेगा/प्रशि./विविध/2010-11

जयपुर, दिनांक: 23/5/2011.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,  
समस्त राजस्थान।

**विषय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला /पंचायत समिति/कलस्टर पंचायत स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मापदण्ड के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत जिला/पंचायत समिति/कलस्टर पंचायत स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के वित्तीय मापदण्डों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि तदनुसार विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन सुनिश्चित करावें:-

**(अ) आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु वित्तीय मापदण्ड :-**

क्र.सं.	शीर्षक	वित्तीय मापदण्ड (रूपयों में )		
		जिला स्तरीय प्रशिक्षण	पंचायत समिति स्तरीय प्रशिक्षण	कलस्टर/ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण
1.	प्रशिक्षण सामग्री- बैग/फोल्डर/पैन/स्लीप पैड/फोटोकॉपी (एक मुश्त प्रति संभागी)	90 / -रु	65 / -रु	60 / -रु
2.	प्रशिक्षणार्थियों का आवास किराया (प्रति दिन प्रति संभागी)	50 / रु	40 / रु	30 / रु
3.	भोजन एवं चाय, पानी (प्रति दिन प्रति संभागी)	100 / रु	90 / रु	80 / रु
4.	प्रशिक्षको का मानदेय प्रति सत्र (अधिकतम 4 सत्र)	300 / -रु	300 / -रु	300 / -रु
5.	प्रशिक्षणार्थियों का यात्रा भत्ता आने जाने का (बस/रेल)	वास्तविक किराया	वास्तविक किराया	वास्तविक किराया
6.	फील्ड विजिट प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक होने पर (बस/रेल/जीप) एक मुश्त प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम	2000 / -रु	1000 / -रु	500 / -रु
7.	प्रशासनिक व्यय (एक मुश्त प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम)	1000 / -रु	500 / -रु	500 / -रु

(ब) गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु वित्तीय मापदण्ड :-

क्र.सं.	शीर्षक	वित्तीय मापदण्ड (रूपयों में)		
		जिला स्तरीय प्रशिक्षण	पंचायत समिति स्तरीय प्रशिक्षण	कलस्टर/ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण
1.	प्रशिक्षण सामग्री- बैग/फोल्डर/पैन/स्लीप पैड/फोटोकॉपी (एक मुश्त प्रति संभागी)	90/-रु	65/-रु	60/-रु
2.	वर्किंग लंच एवं चाय, पानी (प्रति दिन प्रति संभागी)	80/रु	60/रु	60/रु
3.	प्रशिक्षको का मानदेय प्रति सत्र (अधिकतम 4 सत्र)	300/-रु	300/-रु	300/-रु
4.	प्रशिक्षणार्थियों का यात्रा भत्ता आने जाने का (बस/रेल)	वास्तविक किराया	वास्तविक किराया	वास्तविक किराया
5.	फील्ड विजिट प्रशिक्षण कार्य. में आवश्यक होने पर (बस/रेल/जीप) एक मुश्त प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम	1500/-रु	800/-रु	500/-रु
6.	प्रशासनिक व्यय (एक मुश्त प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम)	1000/-रु	500/-रु	500/-रु

**नोट:-**

1. प्रशिक्षण व्यय महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत प्रशासनिक मद सीमा में से वहन किया जायेगा।
2. प्रशिक्षण के लिए उपरोक्त निर्धारित राशि अधिकतम सीमा के रूप में है यदि आयोजनकर्ता द्वारा कम राशि व्यय की जाती है अर्थात् व्यय वाउचर कम राशि के है, तो कम राशि ही स्वीकार्य होगी।
3. प्रशिक्षणार्थी राज्य सेवा/योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिक/कार्यकारी संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों, पदाधिकारी होने पर अपना यात्रा भत्ता बिल अपने कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यदि प्रशिक्षक पाईवेट (डीआरपी/बीआरपी) है तो प्रशिक्षकों को वास्तविक (बस/रेल) किराया आने जाने का देय होगा।
4. प्रशिक्षण में आवास एवं भोजन व्यवस्था के लिए संभागीय सं. में अधिकतम 5 अतिरिक्त व्यक्तियों (जिसमें प्रशिक्षक एवं आयोजनकर्ता सम्मिलित) का ही व्यय मान्य होगा।
5. प्रशिक्षक (ट्रेनर) महात्मा गांधी योजनान्तर्गत कार्यरत अधिकारी/कार्मिक होने पर प्रशिक्षण मानदेय देय नहीं होगा।

भवदीय



(रामनिवास मेहता)

परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस

**प्रतिलिपि:-**

- (1) निदेशक सामाजिक अंकेक्षण।
- (2) अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस समस्त।
- (3) मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
- (4) लेखा शाखा मुख्यालय।



परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस